ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक उद्योग. / 2018/291
दिनॉक: . 13 .07.2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–11 के उद्यमियों को भूखण्डों की लीजडीड निष्पादन एवं निर्माण / कियाशील के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 07.07.2018 में मद संख्या–112 / 13 पर निम्नानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र इकोटैक–11 में कुल भूखण्डों की संख्या 281 है, जिसमें से 179 भूखण्डों का आबंटन वर्ष 2008 में 5 भूखण्डों का आबंटन 2018 में किया गया । इस प्रकार कुल आबंटित भूखण्डों की संख्या 184 है। रिक्त भूखण्डों की संख्या 97 है। कुल आबंटित भूखण्डों की संख्या 184 में से 44 भूखण्डों की लीजडीड निष्पादित हो चुकी है तथा 140 भूखण्डों की लीजडीड होना अवशेष है तथा कियाशील इकाईयों की संख्या शून्य है । परियोजना विभाग की आख्या के अनुसार “आन्तरिक सडक,सीवर,ड्रेन एवं जलापूर्ति तथा विद्युत का कार्य पूर्ण है। सैक्टर इकोटेक–11 को जाने वाले पहुँच मार्ग आई0आई0टी0जी0एन0एल0–डी0एम0आई0सी0 के विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण बाधित है, इस मार्ग का निर्माण कार्य जून,2018 तक पूर्ण हो जायेगा।”

आबंटित भूखण्डों के उद्यमियों द्वारा समय–समय पर अनुरोध पत्रों के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग आदि का कार्य पूर्ण न होने के कारण भूखण्डों की लीजडीड सम्पादित नहीं करायी गयी है और न ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके कारण सैक्टर का पूर्णतया औद्योगिक विकास अवरूद्व हो गया है। औद्योगिक इकाईयों के त्वरित स्थापना न होने से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था तथा ग्रेटर नौएडा के विकास को जो गति मिलना चाहिए वह अवरूद्व है।

उपरोक्त के दृष्टिगत इकोटैक–11 में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए निम्न बिन्दु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

1. इकोटैक–11 के ऐसे आबंटी जिन्होंने लीजडीड निष्पादित नहीं करायी थी,को प्राधिकरण बोर्ड की 110वीं बैठक दिनॉक 20.11.2017 में दिनॉक 31.01.2018 तक लीजडीड निष्पादन कराने पर आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क इस शर्त के साथ स्थगित की गयी थी कि लीजडीड की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर इकाई का निर्माण / कियाशील करायेगे। यह सुविधा दिनॉक 31.01.2018 तक प्रदान की गयी थी।

उपरोक्तानुसार विकास के दृष्टिगत इकोटेक–11 के आबंटी जिन्होंने दिनॉक 31.01.2018 तक भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित नहीं करायी है एवं यदि वे आबंटित भूखण्ड की लीजडीड दिनॉक 30.09.2018 तक निष्पादित कराते हैं तो उन पर लीजडीड निष्पादन की तिथि तक आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगित किया जाये कि उनके द्वारा दो

वर्ष के अन्दर भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील करने पर उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। यदि इकाई को 2 वर्ष के अन्दर निर्माण/क्रियाशील नहीं करते है तो उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क ब्याज सहित इकाई से ली जायेगी। उक्त प्रोत्साहन सुविधा उनकी लीजडीड में अंकित की जायेगी ।

2 इकोटेक–11 की ऐसी इकाईयॉ जिन्होंने प्राधिकरण बोर्ड की 110वीं बैठक में प्रदान की गयी प्रोत्साहन सुविधा के अनुसार दिनॉक 31.01.2018 से पूर्व अपने भूखण्ड की लीजडीड करा ली है, उन्हें भी निर्माण/क्रियाशील हेतु दिनॉक 31.01.2018 से 02 वर्ष निःशुल्क समय विस्तरण दिया जाना न्यायसंगत तथा सैक्टर के विकास के दृष्टिगत उचित प्रतीत होता है ।

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में निर्गत किये जा रहें ।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0)महोदय के सूचनार्थ ।
3. वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी(वी0) महोदया के सूचनार्थ
4. प्रबन्धक–1(उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रबन्धक(सिस्टम) को इस आशय से कि जन सामान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

उप महाप्रबन्धक (उद्योग)